नीलाम सूचना

जिला पंचायत, मेरठ की भूमि मखदूमपुर गंगा जी ख0सं0 01मि0 से (कृषि योग्य भूमि) को काश्त (कृषि) कार्य हेतु 3 वर्षो के लिये ठेके/नीलाम पर देने हेतु **दिनाक 18.12.2020** को समय 11 बजे दिन में **कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ कचहरी परिसर, मेरठ में** जलसे आम नीलाम किया जायेगा। यदि उक्त दिंनाक को नीलाम/ठेका नही हो पाता है तो पुनः **दिनांक 21.12.2020** को उपरोक्त समय, स्थान पर ही नीलाम किया जायेगा। सम्बन्धित भूमि की कृषि योग्य भूमि की बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को जमानत के रूप में अकंन रूपये 10000.00 जमां करने होगें। उच्चतम् बोली दाता को बोली छूटने के तुरन्त बाद बोली का 1/3 भाग कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में जमां करना होगा, तथा जमानत राशि धरोहर के रूप में जमा रहेगी, जो अन्तिम किस्त में समायोजित की जायेगी। नीलाम की शेष शरायत कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। नीलाम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की पृत्याशा में छोडा जायेगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलाम का लाभ उठायें। यदि नीलाम उक्त दिंनाकों को नही हो पाता है तो अवकाश के दिनों को छोडकर नीलाम होने तक प्रत्येक बुद्ववार को नीलाम किया जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पंत्राक– 2007 नीलाम/ठेका कृषि भूमि/ 2020–2021 दिंनाक–11-12-2020

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदया जिला पंचायत, मेरठ की सेवा में सूचनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि शासनादेशानुसार उक्त सूचना को जनपद वैबसाईट http//meerut.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कार्य अधिकारी/वी0पी0डी0/प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ को उपरोक्तनुसार नीलाम को सम्पन्न कराने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रधान, ग्राम पंचायत मखदूमपुर बाजमपुर, किशोरपुर, बस्तौरा आदि को सूचनार्थ एंव इस आशय के साथ कि उक्त नीलामी हेतु ग्रामवासियों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. श्री राम अवतार भारती, वसूली कर्मचारी जिला पंचायत, मेरठ को इस आदेश के साथ कि ग्राम मखदूमपुर, किशोरपुर, बाजमपुर व बस्तौरा आदि ग्रामों में मनादी आदि द्वारा नीलाम/ठेका का व्यापक प्रचार प्रसार करायें, तथा एक ग्राम के कम से 10–15 व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराते हुये मोबाईल नम्बर लिखवाते हुये सम्बन्धित प्रधान से मोहर लगवाकर हस्ताक्षर कराकर सूचना नीलाम दिंनाक से पूर्व कार्यालय में प्रेषित करें।

1509

DIO, NIC

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
11/12/2020

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

13. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर अनुबन्ध करना एवं लेबर सेस में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
14. यह निविदा सूचना तथा अन्य कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस व समय में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
15. सम्बन्धित कार्य नियत अवधि में पूर्ण न होने की दशा में रूपये **100.00 प्रतिदिन तावान** के रूप में बिल से कटौती की जायेगी।
16. प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर नगर पंचायत खरखौदा में जमा करना अनिवार्य होगा।
17. कार्य के समकक्ष विगत वित्तीय वर्ष में **कार्य का अनुभव** संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. शासनादेश संख्या–24/वी.आई.पी.(1)/नौ–17–120बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के अनुपालन में ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात **5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख रखाव** करना होगा।
19. ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का **5 प्रतिशत** धनराशि पर **परफार्मेन्स गारन्टी** के रूप में **5 वर्ष तक रोकने** के पश्चात निर्माण कार्य के समुचित रख रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
20. निविदा स्वीकृति के उपरान्त यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, या कार्य करने से इंकार किया जाता है तो सम्बन्धित निविदा निरस्त करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. ठेकेदार को कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद कार्य स्थल पर कार्य का बोर्ड (पूर्ण विवरण सहित) भी लगाया जाना आवश्यक है।
22. स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से/पंचायत में धन उपलबध होने पर किया जायेगा।
23. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
24. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र मेरठ होगा।
25. निर्माण कार्यो हेतु किसी सरकारी संस्था द्वारा निर्गत सन्तोषजनक एवं सफलतापूर्ण कार्य करने का **प्रमाण–पत्र** देना अनिवार्य होगा।
26. **निर्माण कार्यो हेतु पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र, श्रम विभाग का पंजीकरण व 100 रुपये के स्टाम्प पर स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।**
27. निविदा दाता की किसी अन्य विभाग में कार्य के सम्बन्ध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
28. यदि निविदा दाता का कोई आपराधिक इतिहास/आसमाजिक कृत्य तथा दुर्व्यहार संज्ञान में आता है तो निविदा निरस्त कर दी जयेगी।
29. अंकन 100/– रुपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा कि मैं उपरोक्त **सभी शर्तो को मानता हूँ** तथा शर्तो को मानने के लिए बाध्य हूँ।
30. निविदा के साथ फर्म/ठेकेदार को **100/– रुपये का नॉन जूडिशियल स्टाम्प** पर नोटेरी द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र इस आशय का देना होगा कि कार्य में लगाये जाने वाले **समस्त अभिलेख शत प्रतिशत सत्य है।**
31. निविदा प्रकाशन की निर्धारित समयावधि में यदि किसी ठेकेदार/व्यक्ति/संस्था/फर्म/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया जाता हैं तथा बाद में प्राप्त दरों को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत की जाती है तो वह किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
32. निविदा स्वीकृति के उपरान्त यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, या कार्य करने से इन्कार किया जाता है, तो निविदा निरस्त करते हुये सम्बन्धित ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा ठेकेदार/फर्म को ब्लैक लिस्ट करने पर विचार किया जायेगा।
33. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी एवं एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नही होगी।
34. प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक निविदा की एक प्रिन्ट प्रति एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि की NEFT/RTGS मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदादाता का नाम के साथ स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित तिथि दिनांक--**18.12.2020** को अपरान्ह **02:00** बजे तक नगर पंचायत खरखौदा में रखे बॉक्स में डालना अनिवार्य होगा, यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नही होगें तो लिफाफों को अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नही लिया जायेगा। जिसके लिए ठेकेदार/फर्म स्वंय जिम्मेदार होगें।
35. कार्य की मात्रा घट–बढ सकती है। जिसके लिये ठेकेदार/फर्म बाध्य होगी।
36. कार्य स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित ठेकेदार को **अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।** उसके बाद ही कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा।
37. **ठेकेदार /फर्म द्वारा तकनीकी और फाईनेंशियत बिड अलग–अलग डाली जायेगी। तकनीकी बिड मान्य होने पर ही फाईनेंशियनल बिड खोली जायेगी।**
38. यदि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत खरखौदा कि मशीनरी आदि का प्रयोग किया जाता है तो ठेकेदार को उक्त मशीनरी के प्रयोग बाबत निश्चित दर से किराये का भुगतान नगर पंचायत खरखौदा को करना होगा।
39. नियामानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0, श्रमकर, रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।

(शशि प्रभा चौधरी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

(रमेशचन्द्र)
अध्यक्ष
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

प्रतिलिपि–

4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह एन0आई0सी0 की बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु आदेशित कराने का कष्ट करें।

1507
DIO. NIC

(शशि प्रभा चौधरी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

रमेशचन्द्र
(रमेशचन्द्र)
अध्यक्ष
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ 14-12-2020